[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 14/2025 - केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितंबर, 2025

सा.का.नि......(अ).- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 6 प्रतिशत की केंद्रीय कर की दर को अधिसूचित करती है, जो उन वस्तुओं की अंतरा-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में, टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्र. सं.	**टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय**	**विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	6815	फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भस्म या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईंटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइलें

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,–

(क) "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है;

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;

(ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)

भारत सरकार के अवर सचिव